

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक: / व्यवस्थापन/अवशेष मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/दिनांक: जुलाई 19, 2018

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 250/XXIII/2018/04(01)/ देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या: 392/XXIII/2018/04(01)/2018 दिनांक: अप्रैल 13, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार तृतीय चरण के उपरान्त भी अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा की दुकान मौना के दिनांक 25.07.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिये प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर पूर्ण राजस्व पर व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिनांक 24.07.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक तथा पूर्ण राजस्व पर व्यवस्थापित न हो पाने की दशा में अधिकतम राजस्व प्रस्ताव के आवेदन/ ऑफर दिनांक 24.07.2018 को अपराह्न 02:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, नैनीताल में आमंत्रित किये जाते हैं। अधिकतम राजस्व प्रस्ताव के आवेदन/ऑफर जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर वार्ता के उपरान्त निर्णय हेतु आयुक्तालय एवं शासन प्रेषित किया जायेगा। उक्त दुकान के राजस्व का विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	दुकान का प्रकार	मदिरा दुकान का नाम	दिनांक 25.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 हेतु निर्धारित राजस्व		
			कुल राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	अभिभार की धनराशि
1	विदेशी	मौना	9851922	99000	9752922

शेष शर्तें उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 250/XXIII/2018/04(01)/2018/देहरादून दिनांक: 19 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या: 392/xxiii/2018/04(01)/2018 दिनांक: अप्रैल 13, 2018, The Uttarakhand Excise (Settlement of Licence for Retail sale of Foreign Liquor) Rules, 2001 एवं आबकारी अधिनियम 1910 के अनुरूप होंगी। उक्त मदिरा दुकान को अधिकतम राजस्व प्रस्ताव पर दैनिक आधार दिनांक 20.07.2018 से 24.07.2018 तक संचालन हेतु दिनांक 20.07.2018 की दोपहर 12:00 बजे तक आवेदन/ऑफर भी आमंत्रित किये जाते हैं। व्यवस्थापन हेतु रिक्त दुकान से सम्बन्धित अन्य कोई भी विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। दुकान के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी का होगा।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

पत्रांक: 1363/जि०आ०अधि०/व्यवस्थापन/2018-19/नैनीताल/तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी, (प्र०) नैनीताल।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई०टी० मुख्यालय, देहरादून व उप आबकारी आयुक्त, आई०टी० मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
7. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाइट www.uk.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 20.07.2018 को ही प्रकाशित होने वाले उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का० जि०आब०अधि०, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, उप तहसीलें, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।